न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र

(आर.ए.एस.)

मैनुअल प्र.सं. :– 128/1983 (रिमाण्ड प्रकरण सं. 272/1997)

बृजलाल पुत्र श्री साहबराम जाति जाट साकिन 84 आरबी बी. (लखाहाकम) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर नवसृजित जिला अनूपगढ़ राज.। –:प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत लखाहाकम पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर नवसृजित जिला अनूपगढ़ राज.। –:अप्रार्थीगण
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर राज.।

रिव्यू प्रार्थना–पत्र/रिमाण्ड प्रकरण सं. 30/97

उपस्थित: 1.श्री नरेन्द्र भादू प्रार्थी अधि.।
2. राजपेरोकार सरकार एवं ग्रामपंचायत अप्रार्थी सं. 1 ता 2।

दिनांक 17.01.2025

––निर्णय––

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त पुनरावेदन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 128/1983 अनवान सरपंच ग्राम पंचायत लखाहाकम बनाम सरकार निर्णय दिनांक 16.05.1984 के खिलाफ प्रार्थी साहबराम पुत्र गुकनाराम द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के अपील पेश करने पर प्रकरण संख्या 272/1997 अनवान साहबराम बनाम राजस्थान सरकार आदि निर्णय दिनांक 11.05.1999 द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 16.05.1984 को निरस्त किया जाता है प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उपर्युक्त विश्लेषण के सन्दर्भ में मौका की जांच कर संबंधित पक्षकारों को सुन कर आदेश पारित करें। पक्षकार सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.07.1999 को स्वयं उपस्थित रहे। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर इस न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई गे लिया गया। पक्षकारान के हाजिर नहीं आने पर दिनांक 29.11.1999 को रिमाण्ड प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी स्तर पर खारिज किया गया। उक्त प्रकरण को पुनः पेशी में लिया जाकर निर्णय करने हेतु प्रार्थी ने प्रार्थन पत्र पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 272/1997 अनवान साहबराम बनाम सरकार को पुनः उसी नम्बर पर लेने के आदेश जारी किये गये।
2. उक्त प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/2180 दिनांक 03.12.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट व जमाबंदी चक 84 आरबी बी के पं.नं. 248/271 मु.नं. 65 के कि.नं. 1/2/0.240, 2/2/0.240, 3/2/0.240, 4/2/0.240, 5/2/0.240, 6 ता 12/1.771, 13/3/0.063 कुल 3.034 है. नहरी भूमि बृजलाल पुत्र साहबराम हिस्सा 1/4, रेनादेवी पुत्री साहबराम हिस्सा 1/4, जाति जाट साकिन ततारसर तहसील श्रीगंगानगर खातेदार दर्ज रिकार्ड है उक्त मु.नं. 65 के कि.नं. 1 ता 5 में मौका पर रास्ता चा[illegible] नहीं है। मौका पर उक्त रकबा के कि.नं. 1 की उतरी सीमा पर बृजलाल पुत्र साहबराम की पक्की ढा[illegible] है व कि.नं. 2–3–4–5 में फसल काश्त की गई है मौका प[illegible] [illegible] पर प्रार्थी बृजलाल पुत्र साहबराम द्वारा पिता के नाम से [illegible] बैयनामा [illegible] जिसमें पूर्व में कि.नं. 1 ता 5 में रास्ता का अंकन नहीं है।
3. बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना [illegible] को दौहराया एवं कथन किया कि पूर्व में प्रार्थी को बिना सुने ही मु.नं. 90 पुराना, 65 नया के कि.नं. 1 ता 5 में रास्ता स्वीकृत किया गया है आज दिनांक इस रास्ता का उपयोग नहीं हुआ है इसी मु.नं. 65 के कि.नं. 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत एवं सरकार द्वारा पक्की सडक बनाई गई है जिसका उपयोग ग्राम पंचायत लखाहाकम के ग्रामीण आने–जाने हेतु उपयोग भी करते है इस कारण मु.नं. 65 के कि.नं. 1 ता 5 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज गै. मु.रा. को निरस्त किया जावे। इसी मु.नं. के कि.नं. 21 ता 25 को यथावत रखा जावे। प्रार्थी के पिता के द्वारा खरीद के समय भी रजिस्ट्रड बैयनामा में मु.नं 65 के कि.नं. 1 ता 5 में गै.मु.रा. दर्ज नहीं है किसी काश्तकार को मौके पर कोई आपत्ति भी नहीं है वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.28 16:31:18 IST
Reason: SelfAttested

में तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा अपनी मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित किया है कि कि.नं. 1 में प्रार्थी की पक्की ढाणी बनी है व कि.नं. 2 ता 5 में मौके पर फसल काश्त है एवं मौके पर रास्ता नहीं चल रहा है इसलिए प्रार्थी का पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 29.11.1999 को अपास्त कर पुनः निर्णय किया जाने हेतु निवेदन किया है। राजस्थान सरकार की तरफ से राजकीय अधिवक्ता तहसीलदार रामेजा ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा ही तथ्य पेश किये जाने है सरकार की तरफ से कोई हित नहीं चाहा गया है उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत लखाहाकम द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मु.नं. 65 के कि.नं. 21 ता 25 में मंजूर शुदा रास्ता जो वर्तमान में चालू है व पक्की सड़क बनी हुई है इसी रास्ते से गांव में आवागमन होता है इस मुरब्बा के कि.नं. 1 में बृजलाल पुत्र साहबराम की ढाणी बनी हुई है। कि.नं. 1 ता 5 राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है जो वर्तमान में बंद है ना ही कभी चालू था इस रास्ते के चालू होने से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। अतः मु.नं. 65 के कि.नं. 1 ता 5 का रास्ता राजस्व रिकार्ड से हटाया जाता है तो कोई एरिया प्रभावित नहीं होता हैं।

4. हमने विद्वान अधिव्रक्ताओ की बहस सुनी व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा परस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी के मु.नं. 65 के कि.नं. 1 ता 5 में रास्ता राजस्व अभियान कैम्प लखाहाकम में स्वीकृत किया गया था प्रार्थी की उक्त भूमि भी रजिस्ट्रड बैयनामा से खरीद की है रास्ते में दर्ज होने वाली भूमि के बदले भूमि व राशि का भुगतान भी नहीं किया गया ग्राम पंचायत लखाहाकम के द्वारा भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है अपील प्राधिकारी अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण 128/83 अनवान प्रा.पत्र सरपंच ग्राम पंचायत लखाहाकम 84 आर बी बी बनाम राजस्थान सरकार बाबत रास्ता ,के निर्णय 16.05.1999 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.05.1984 खारिज कर पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया है मौके पर उक्त रास्ता चालू भी नहीं है एवं फसल काश्त की जाती है इसी मुरब्बा के कि.नं. 21 ता 25 में मौके पर रास्ता चालू है व पक्की सड़क बनी हुई है उक्त रास्ता से ग्राम पंचायत लखाहाकम के ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत लखाहाकम के दिनांक 2.01.2025 के द्वारा अभिशषा की है कि चाके चक 84 आर बी बी के मु.न. 65 के कि.न. 21 ता 25 मंजूर शुदा रास्ता जो वर्तमान में चालू है व पक्की सड़क बनी हुई है। इसी रास्ते से गांव में आवागमन होता है, इस मुख्बा के कि.न. 1 में बृजलाल पुत्र साहबराम की ढाणी बनी हुई है। कि.न. 1 ता 5 राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है जो वर्तमान में बंद है ना ही कभी चालू था। यह रास्ता किसी को लाभावित नहीं करता है। अतः मु.न. 65 के कि.न. 1 ता 5 का रस्ता राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है तो कोई एरिया प्रभावित नहीं होता है। ऐसे में पूर्व में दिनांक 16.5.1984 को मन्जुर शुद्दा रास्ता को निरस्त किया जाकर एवं रास्ता में आये रकबा को पूर्व खातेदार के खाते में दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 128/1983 अनवान प्रा. पत्र सरपंच लखाहाकम में निर्णय दिनांक 16.05.1984 के अनुसार चक 84 आर.बी. बी के मु.नं. 90 के कि.नं. 1 ता 5, 89 के कि.नं. 1 ता 5, मु.नं. 37 के कि.नं. 1 ता 5 व मु.नं. 69 के कि.नं. 1–10–11–20–21 व इसी मुरब्बा के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में से 1–1 बिस्वा चौडा गै.मु.रा स्वीकृत किया गया था जिसमें इसी चक 84 आर बी बी के मु.नं. 90 मुरब्बा नया 65 का कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक 1–1 बिस्वा गै.मु.रा. को खारिज किये जाने के आदेश किए जाते है शेष अंकन पूर्व निर्णय दिनांक 16.5.1984 के अनुसार रहेगा। निरस्त रास्ता का रकबा खातेदार के खाते में रहेगा। उक्त आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी